कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

Email ID :- eepmgsykathgodam@rediffmail.com   दूरभाष नं0 / फैक्स नं0 :- 05946-266211

पत्रांकः- 391 / 3एम0जी0   दिनांक : 09/4/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः- **जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत क्वारब-मौना-सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/14474/2015)**

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/ 291/2015/एफ0सी0/1611, दिनांक 28.12.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/ 291/2015/एफ0सी0/1611, दिनांक 28.12.2017 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः

1. वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **रू0 5970000.00** (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) NEFT/RTGS (चालान) के माध्यम से कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (अनुलग्नक-1)
2. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 754163.00 NEFT/RTGS (चालान) के माध्यम से AD-HOC CAMPA में जमा कर दी गयी है। (अनुलग्नक-1)
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।(अनुलग्नक-3)
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य व वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव संबंधी धनराशि Online Portal के माध्यम से generated चालान के अनुसार निर्धारित शीर्षक CAMPA के तदर्थ निकाय खाते में जमा कर दी गयी है। (अनुलग्नक-1)
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ-जहॉ संभव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।(अनुलग्नक-4)

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते हुए अनुरोध करना है कि विषयक मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की **विधिवत् स्वीकृति** निर्गत करने कृपा करें। चूंकि भारत सरकार द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत 250+ आबादी की असंयोजित बसावटों को माह मार्च, 2019 तक सम्पर्क मार्गो से संयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के कटान की कार्यवाही हेतु वन विकास निगम की सम्बन्धित इकाई को आदेशित करने की भी कृपा करें, ताकि मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोपरि

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

पत्रांकः–   / 3एम0जी0   दिनांक :   .   .2018

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त लो0नि0वि0, ज्योलीकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को **संलग्नक सहित** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (प्रथम) पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,लो0नि0वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई०टी० पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाष :– 0135–2608125 फैक्स :– 2608126 ई–मेल :–**urrda@yahoo.com**

पत्रांक 5955 /आई–3–20/यू०आर०आर०डी०ए०/12 दिनाँक 24 फरवरी 2018

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011001939 से Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road Bangalore 560027 के खाता सं0–15089 6114474821 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं0–245173 दिनांक 24.02.2018 धनराशि रु0 67,24,163.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/Ac No 15089 **6114474821** Carporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:-	Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand
Name of Bank:-	Corporation Bank
Address:-	FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road Bangalore 560027
IFC Code:-	CORP0000633
A/C No.-	15089 **6114474821**

क्र सं	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि				
			क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन0पी0वी.	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निस्तारण	योग
1	क्वारब–मौना–सरगाखेत के कि0मी0 2 से क्वारब मोटर मार्ग	नैनीताल	-	7,54,163.00	59,70,000.00	-	67,24,163.00
						Totals	67,24,163.00

संलग्नक–उक्त चैक

24.02.18
अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम (नैनीताल)।

24.02.18
अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

EFT RTGS CHALLAN

अनुलग्नक 4

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-02-2018

Agency Name:	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No:	6114474821
Location:	UTTARANCHAL
Address:	executive engineer, pmgsy division, pwd kathgodam Nainital
Amount(in Rs)	6724163/-

Amount in Words: Sixty-Seven Lakh Twenty-Four Thousand One Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896114474821
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore. * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

may send a line of confirmation through

27.2.

RCAD144742015821

(3)

परियोजना विवरणः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में क्वारब मौना सरगाखेत के किमी0 2 से क्वारब मोटर मार्ग का निर्माण।
किमी0 1 से 4.500

<u>एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Rautela
कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, काठगोदाम

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, काठगोदाम

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, काठगोदाम

परियोजना विवरणः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में क्वारब मौना सरगाखेत के किमी0 2 से क्वारब मोटर मार्ग का निर्माण।
किमी0 1 से 4.500

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी।

कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/291/2015/एफ0सी0 | 1611

दिनांक 28/12/2017

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्वारब–मौना–सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड की पत्र.संख्या–1156/X-4-15/1(600)/2015 दिनांक 29.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/14474/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्वारब–मौना–सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5970 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त शर्तों/शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदत्त की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 258 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

28.12.2017

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2364/FP/UK/ROAD/14474/2015 :देहरादून:दिनांक: 10 जनवरी, 2018

108
16/1/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,

लो0नि0वि0, काठगोदाम, नैनीताल।

विषयः– जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्वारब–मौना–सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन पत्रावली सं0 FP/UK/ROAD/14474/2015)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूसीपी/06/291/2015/एफ0सी0/1611 दिनांक 28–12–2017 *(प्रति संलग्न)*

महोदय,

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु–8, उपबिन्दु–क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के forestsclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न :–यथोपरि।

भवदीय

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Received 18/01/2018 c.c. (A.E.)

संख्या /FP/UK/ROAD/14474/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(संलग्न–यथोपरि)

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

अभी/RK (E.L.)
आवश्यक कार्यवाही करें